बिना चीरा लगे अफीम प्लाट के क्षतिग्रस्त अफीम फसल के जुताई (Plough-back) के द्वारा नष्टीकरण बाबत आवेदन पत्र

(जिन कृषकों के बिना चीरा लगे अफीम प्लाट की अफीम फसल क्षतिग्रस्त हो गयी है। उनको अपनी क्षतिग्रस्त अफीम फसल की जुताई (Plough back) के द्वारा नष्टीकरण हेतु नियत तिथि की समाप्ति से पूर्व यह आवेदन पत्र संबन्धित डिवीजन में प्रेषित करना अनिवार्य होगा। किसी अन्य प्रारूप में दिया गया आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा तथा ऐसे आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी।)

सेवा में, दिनांक ....

श्रीमान जिला अफीम अधिकारी,

....

....

महोदय,

निवेदन है कि फसल वर्ष 2017–18 में प्रार्थी के नाम जारी 0.10 हेक्टेयर के अफीम लाइसेंस के अन्तर्गत मेरे द्वारा .... हेक्टेयर में अफीम काश्त की गयी है। उक्त अफीम काश्त एक/ दो प्लाटों में की गयी है। मेरे अफीम काश्त के प्लाट/ प्लाटों के खसरा नं. तथा क्षतिग्रस्त अफीम फसल का विवरण निम्नानुसार है:–

क्रम संख्या	विवरण	प्लाट संख्या 1	प्लाट संख्या 2
1	प्लाट का खसरा नं0		
2	प्लाट का क्षेत्रफल (वर्गमीटर/ हेक्टेयर में)		
3	प्लाट में चीरा प्रारम्भ हुआ है अथवा नहीं?		
4	यदि चीरा प्रारम्भ हुआ है तो चीरा प्रारम्भ होने की तिथि		
5	यदि चीरा प्रारम्भ नहीं हुआ है तो क्षतिग्रस्त अफीम फसल, जिसे जुताई (Plough back) के द्वारा नष्टीकरण करवाना है, की अनुमानित क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)		

निवेदन है कि मेरी अफीम प्लाट संख्या ...., जिसमें अभी तक चीरा प्रारंभ नही हुआ है, के लगभग .... हेक्टेयर क्षेत्रफल में बोई गई अफीम फसल का हिस्सा दिनांक .... को हुई ओलावृष्टि/असमय बारिश अथवा बिमारी के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। अतः कृपया उक्त अफीम प्लाट के क्षतिग्रस्त अफीम फसल के हिस्से को विभागीय निगरानी में नियमानुसार नष्ट करवाने की कृपा करें। आवेदक कृषक का नाम एवं विवरण निम्नानुसार है:–

1. आवेदक कृषक का नाम		2. आवेदक कृषक के पिता/ पति का नाम	
3. आवेदक कृषक की यूनिक कोड संख्या		4. ग्राम का नाम	
5. तहसील का नाम		6. जिला का नाम	
7. डिवीजन का नाम		8. रेंज नम्बर	

मैं यह वचन देता हूँ कि मेरी क्षतिग्रस्त अफीम फसल की विभागीय निगरानी में जुताई (Plough back) के द्वारा नष्टीकरण के समय मैं विभागीय अधिकारियों का पूर्ण सहयोग करूंगा तथा नष्टीकरण के पश्चात जो भी डोडाचूरा उत्पादित होगा, उससे अथवा उसके किसी अंश से किसी प्रकार की छेड़छाड़ या खुर्द–बुर्द नही करूंगा। समस्त उत्पादित डोडाचूरा को मैं विभागीय अधिकारियों के समक्ष उनके निर्देशानुसार बताये गये विधि से नष्ट कर दूंगा। अन्यथा मेरे विरूद्ध विधि सम्मत नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

मै यह प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त दी जानकारी एवं कथन सत्य है। मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी अथवा मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त वचन असत्य पाये जाने पर मेरे विरूद्ध विधि सम्मत नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

अफीम लम्बरदार
के हस्ताक्षर/ अँगूठा निशानी

अफीम कृषक
के हस्ताक्षर/ अँगूठा निशानी